कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

क्र./एफ–275/1/सा.प्र.वि./विविध/19/1739

भिलाई, दिनांक 11/12/19

आदेश

छ.ग. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय के पत्र कमांक 5367/4824/ 10/18 रायपुर दिनांक 01.10.10 द्वारा कार्यभारित एवं आकस्मिकता सेवा के कर्मचारियों हेतु कमोन्नति योजना बाबत सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक एफ–10–1/07/ 1–3/दिनांक 11 जून 2007 में दिये गये निर्देशानुसार एवं नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने लिखा गया है ।

छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 16.11.07 के पैरा 03 में उल्लेख है कि कार्यभारित/आकस्मिक निधि सेवा के कर्मचारियों को भी नियमित कर्मचारियों के सामान 12/24 वर्ष के आधार पर कमोन्नति योजना का लाभ सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भित ज्ञापनों में निहित शर्तो के अध्याधीन दिया जाये। 12/24 वर्ष की सेवा की गणना कार्यभारित तथा आकस्मिकता सेवा के नियमित स्थापना में सदस्यता प्राप्त करने की तिथि से की जावेगी ।

नगर निगम भिलाई के कर्मचारियों को कार्यभारित तथा आकस्मिकता कर्मचारी की भर्ती तथा सेवा शर्ते नियम 1977 के अनुसार वेतन भत्ते एवं सुविधाएं दी जा रही है । उक्त नियम के नियम 4 सेवा के गठन (ख) अनुसार जो इन नियमों के प्रारंभ के पश्चात इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार सेवा भर्ती किये गये हो पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने पर नियमित नियोजन के समतुल्य वर्ग के पद धारण करने वाले कर्मचारी माने जावेगें ।

म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन वेतन आयोग प्रकोष्ठ कमांक डी 14/917/1 (3)/76 दिनांक 13.01.1977 द्वारा कार्यभारित एवं आकस्मिक मद से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए नवीन सेवा का गठन के संबंध में संशोधन किया गया है जिसकी कंडिका 01 अनुसार जिन कर्मचारियों की सेवा दिनांक 01.01.74 को एक साल की नहीं हुई है वे नव गठित सेवा के सदस्य होने के पात्र नहीं है। उसी प्रकार दिनांक 01.01.74 के पश्चात नियुक्त कर्मचारी सेवा के सदस्य होने के पात्र नहीं है। शासन द्वारा अब यह निर्णय लिया गया है कि इन दोनो प्रकार के कर्मचारी जब पांच साल की लगातार सेवा पूर्ण कर लें तो उन्हें भी उक्त सेवा का सदस्य होने के लिए पात्र माना जावे।

अतः शासन के उपरोक्त निर्देश एवं प्रावधान अनुसार कार्यभारित कर्मचारी को पांच वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर कार्यभारित तथा आकस्मिक सेवा के नियमित स्थापना में सदस्यता प्राप्त होगी तथा नियमित स्थापना में सदस्यता प्राप्त करने के 12 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पश्चात अर्थात कुल 17 वर्ष में प्रथम कमोन्नति की पात्रता होगी और 29 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर द्वितीय कमोन्नति की पात्रता होगी।

उपरोक्तानुसार नियमित एवं कार्यभारित स्थापना दोनो स्थापना के कर्मचारियों को कमोन्नति योजना का लाभ देने हेतु शासन के उक्त निर्देश के परिपालन में निकाय स्तर पर गठित छानबीन समिति की बैठक दिनांक 25.11.2019 में की गई अनुशंसा अनुसार निम्नलिखित कर्मचारी कार्यभारित/आकस्मिक मद सेवा में नियुक्ति दिनांक से निरंतर कार्यरत है। अतः इन कर्मचारियों के कार्यभारित/आकस्मिक मद स्थापना के सदस्यता प्राप्त करने की तिथि एवं नियमित दोनों सेवा अवधि को कमोन्नति के लिए गणना हेतु विचार करते हुए 29 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप उनके नाम के समक्ष कॉलम 08 में दर्शित देय द्वितीय क्रमोन्नत वेतनमान स्वीकृत किया जाता है :–

क्रमशः...........

क्रं.	कर्मचारी का नाम	प्रथम नियुक्ति तिथि/पदनाम/कार्यभारित/आकस्मिक निधि	वेतनमान	नियमित पदनाम	नियमित नियुक्ति तिथि	वर्तमान वेतनमान	का.भा./आक. मिद सेवा 29 वर्ष पूर्ण होने की पात्रता तिथि	सेवा 29 वर्ष पूर्ण होने की तिथि से देय क्रमोन्नत वेतनमान
1	श्री लेड़गाराम देवांगन	01/11/1989 आ.मद माली	4750–7440 +1300 ग्रेडपें मैट्रिक्स लेवल–01 (15600–49400 तक)	माली	04/04/2008	4750–7440 +1400 ग्रेडपें मैट्रिक्स लेवल–02 (16100–50900 तक)	01/11/2018	5200–20200 +1800 ग्रेडपे मैट्रिक्स लेवल–03 (18000–56900 तक)

(आयुक्त महोदय द्वारा अनुमोदित)

उपायुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई
भिलाई, दिनांक 4/12/19

पृ.क्र./एफ-275/1/सा.प्र.वि./विविध/19/1740
प्रतिलिपि :—

1. महापौर/अध्यक्ष, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
2. आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
3. लेखाधिकारी/जनसंपर्क अधिकारी, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
4. संबंधित जोन आयुक्त, जोन क्रमांक 1,2,3,4,5 एवं 6 नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
5. संबंधित विभाग प्रमुख..नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
6. उप संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा, राजनांदगांव को सूचनार्थ।
7. अधीक्षक स्थापना, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
8. प्रोग्रामर डाटा सेंटर, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ एवं निगम की वेबसाईड में अपलोड हेतु।
9. प्रभारी स्थापना लिपिक, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
10. संबंधित श्री लेड़गाराम देवांगन, माली नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
11. अध्यक्ष, छ.ग. स्वायत्तशासी कर्मचारी महासंघ, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
12. अध्यक्ष, छ.ग. कर्मचारी कांग्रेस संघ, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।

उपायुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई